कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

क्रमांक/सामान्य/2019/13204-206 दिनांक :- 10.07.19

श्रीमान् सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

विषय :- ग्राम नान्दडा खुर्द, पंचायत समिति बनाड में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के कम में।

प्रंसग :- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बनाड के पत्र कमांक/संस्था/19/1014 दिनांक 9.7.19 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के निरन्तर में निवेदन हैं कि ग्राम पंचायत बनाड के ग्राम नान्दडा खुर्द में खसरा नम्बर 127/2 में 4.10 बिस्वा जमीन उपलब्ध हैं। उपरोक्त खसरे में से 500 वर्गमीटर भूखण्ड, उप स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन हेतु आवंटित करवाने का श्रम करावें।

उल्लेखनीय हैं कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, बनाड द्वारा इस सम्बन्ध में भूमि आवंटन की कार्यवाही आपके स्तर से पूर्ण करने हेतु लिखा गया हैं। भवन निर्माण हेतु निदेशालय स्तर से बजट की आपूर्ति भी हो चुकी हैं। सरकारी विभागो को भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु आवश्यक **प्रपत्र–स** नियमानुसार तैयार कर पत्र के मूल ही प्रेषित हैं।

अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार **अनापत्ति प्रमाण पत्र** जारी करते हुए भूमि का **टाईटल/पट्टे** इत्यादि की वॉछित कार्यवाही पूर्ण करवाने का सौहार्द करावें, ताकि तद्दानुसार निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जा सके।

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी
जोधपुर
दिनांक :- 10.07.19

क्रमांक/सामान्य/2019/13204-206
प्रतिलिपि :-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बनाड।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, बनाड।

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी
जोधपुर

(A)

प्रपत्र –स

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमो को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1. विभाग/संगठन का नाम चि० एवं स्वा० विभाग जोधपुर
2. प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) डॉ बलवन्त मण्डा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर
3. डाक पता टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. (सेन्ट्रल जेल के सामने) (cmho-jod-rj@nic.in) 0291-2511085 [M-7665327000]
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य उपस्वास्थ्य केन्द्र - नाडसर [illegible] ग्रा०
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 500 वर्ग मीटर
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे) 500 वर्ग मीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा हेतु
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः–
   - i. प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रतिः–
   - ii. चाही गई भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms):–
   - iii. वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरणः–
   - iv. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नही छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्तो की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तो की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 10/07/2019

स्थान : Jodhpur

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जोधपुर

नाम व पद

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Office of the Executive Engineer, Medical & Health, Jodhpur.

No:-

Date:-

M/s Manda Developers & Builders Pvt. Ltd.,
Shiv Shakti Vihar, Opposite 220 KV Power House,
Jaipur Road, Bikaner.

Sub:- Tender for Construction of 206 Nos. Sub Health Centre Building using Prefab Technology at various places in state of Rajasthan.

Ref.:-Executive Engineer, M & H. Division I Jaipur work order no. 1056 dated 25.09.18

Sir,

With reference to above your kind attention is invited to above reffered work order in which th stipulated dates of ~~of~~ commencement and completion of work were 10.09.2018 and 09.03.2020.

The following SHC are to be constructed under this division :-

S.No.	Name of SHC	District	Panchyat Samiti
1	Jhambeshwar Nagar	Jaisalmer	Jaisalmer
2	Hardaspur	Jaisalmer	Sankara
3	Naya Malka	Jaisalmer	Sankara
4	Netsi	Jaisalmer	Sam
5	Ranotu	Jaisalmer	Sam
6	Kaliranangar	Jodhpur	Phalodi
7	Premsar	Jodhpur	Shergarh
8	Pabunagar (Choda)	Jodhpur	Bilada
9	Nure Ki Bhurj	Jodhpur	Baap
10	Kadwasara Nagar	Jodhpur	Osian
11	Nandada ~~Khurd~~ KURD	Jodhpur	Mandore
12	Shiv Saran Ki Dhani	Jodhpur	Mandore
13	Hemsagar	Jodhpur	Shergarh
14	Virampura (Subarsar)	Jodhpur	Shergarh
15	Hinkudi	Jodhpur	Shergarh

Therefore you are requested to kindly contact this office and take layout of the sites and start work at the earliest.

Executive Engineer,
Medical & Health,
Jodhpur
Date:-

No:-

Copy to following information and necessary action please :-

1. The Supertineding Engineer, M & H, Jodhpur.
2. Executive Engineer, M & H, Division Jaipur.
3. Sh. Ashok Sangar, Assistant Engineer, M & H, Jodhpur please arrange land documents and provide layout as and when firms refer senteitive approaches this office.

Executive Engineer,
Medical & Health,
Jodhpur

(19)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः एफ.3(55)नविवि / 3 / 2002

जयपुर, दिनांकः– 2 NOV 2016

आदेश

विषयः– भूमि आवंटन नीति, 2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो को निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां प्रत्योजित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्‌देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 180 / 2015 दिनांक 12.09.2015 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.2015 द्वारा जारी कर राजकीय विभागों / उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 9 द्वारा भूमि आवंटन के प्रावधान किये गये है। उल्लेखनीय है कि भूमि आवंटन नीति, 2015 में राजकीय विभागों एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल / निगम / उपक्रम आदि को भूमि आवंटन हेतु अधिकतम क्षेत्रफल निर्धारित किया हुआ नही है।

विभाग द्वारा पूर्व में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.06.2016 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल प्रदाय योजनाओं आदि के लिये 1000 वर्गमीटर से नीचे की भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की शक्तियां प्राधिकरण / न्यासों को प्रदत्त की गयी है।

इसी के अनुरूप राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 सहपठित नियम 15(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों / न्यासों / नगरीय निकायो को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है :–

1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इफ्रास्ट्रेक्चर हेतु भूमि आवंटन	1000 वर्गमीटर तक
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4000 वर्गमीटर तक
3	उप स्वास्थ्य भवन	500 वर्गमीटर तक
4	पुलिस थाना।	2000 वर्गमीटर तक
5	पुलिस चौकी	500 वर्गमीटर तक

उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जावे। यह आदेश समस्त नगरीय निकायों पर तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned by CamScanner

जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा,जोधपुर –342004

email-jdanic-jod-rj@nic.in web side- jodhpurjda.org phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax No 0291-2612086

कमांक:–एफ–46 / आवंटन(पूर्व) / 2019 / 487 दिनांक:– 06/08/2019

अनालिस्ट कम प्रोग्रामर(A.C.P.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

विषय:– ग्राम नांदड़ाखुर्द पंचायत समिति बनाड के खसरा संख्या 127/2 में 500 वं.मी.नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र कमांक 13204–206 दिनांक 10.07.2019 के द्वारा आवंटन नीति'–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम नांदड़ाखुर्द पंचायत समिति बनाड़ के खसरा संख्या 127/2 में 500 वं.मी. नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन आवंटन की मांग की गई है।

नवीन आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी योजना, गैर योजना क्षेत्रो एवं अन्यत्र स्थानो पर विभिन्न उदेश्यो हेतु आवंटन योग्य उपलब्ध विकसित और अविकसित भूमि को आवंटन करने से पूर्व चिन्हित कर विभागीय वेबसाइट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिये अपलोड करने का प्रावधान है, ताकि उस पर आमजन की टिप्पणी/ आपत्ति प्राप्त की जा सके।

अतः मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा पेश किये गये समस्त दस्तावेज पत्र के साथ संलग्न कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिये अपलोड करें एवं अगर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त होती है तो संबंधित सूचना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांक:–एफ–46 / आवंटन(पूर्व) / 2019 / दिनांक:–

प्रतिलिपीः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव (अध्यक्ष/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर